क.

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत और अन्य का संघ (2012 की सिविल अपील संख्या 79-82) 16 नवंबर, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** हिमा कोहली और जे बी पारदीवाला**,** जे जे।**]**

सशस्त्र बलःस्थायी कमीशन-महिला अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों (एस. एस. सी. ओ.) द्वारा दावा-दिल्ली उच्च न्यायालय

ग

बबीता पुनिया बनाम सचिव और अन्न मामले में अपने प्रमुख फैसले में, जारी किया गया

स्थायी आयोग (पी. सी.) के अनुदान के लिए वायु सेना और सेना में महिला एस. एस. सी. ओ. पर विचार करने के लिए विशिष्ट निर्देश-भारतीय वायु सेना ने उक्त निर्णय को केवल उन अधिकारियों के लिए लागू किया जो 12 मार्च 2010 तक सेवा में थे या उन सेवानिवृत्त/रिहा किए गए अधिकारियों के लिए जो 12 मार्च 2010 तक सेवा में नहीं थे, लेकिन उनकी रिहाई से पहले रिट याचिकाएं दायर की थीं-अपीलकर्ताओं को भारतीय वायुसेना की बहाली योजना से बाहर रखा गया था क्योंकि उन्हें 12 मार्च 2010 से पहले सेवा से रिहा कर दिया गया था-अपीलकर्ताओं ने बबीता पुनिया बनाम सचिव और अन्य में निर्णय के कार्यान्वयन के तरीके को असफल रूप से चुनौती दी थी।दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 61 (3) में प्रावधान किया गया है कि भारतीय वायुसेना की जिन महिला एस. एस. सी. ओ. ने पी. सी. का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें पी. सी. की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन केवल अपने अल्पकालिक सेवा आयोगों के विस्तार की अनुमति दी गई थी, वे सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुषों के समान पी. सी. की हकदार थीं-इसमें केवल दो श्रेणियां शामिल हैं (i) फैसले की तारीख तक महिला एस. एस. सी. ओ. की सेवा करना (ii) महिला एस. एस. सी. ओ. जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन जो याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गई थीं-इसलिए, उन्हें आई. ए. एफ. की बहाली योजना में शामिल करने के लिए अपीलकर्ताओं के प्रस्तुत करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी में नहीं आते हैं-हालांकि, वास्तव में पूरे मुकदमे का पालन किया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

एक पी. सी. क्योंकि उन्हें पी. सी. के लिए विचार किए जाने के एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व के साथ सेवा में प्रेरित किया गया था-इसलिए, अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि सेवा में बहाली सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है-यह निर्देश भारत के संविधान के यू/आई. डी. 1 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण और पर्याप्त न्याय लाने और लिंग भेदभाव के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए निकलता है जो भारतीय वायु सेना में अतीत में हुए थे-निर्देश पारित-वैध अपेक्षा-भारत का संविधान।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

ग

पकड़नाः**1.** दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ **61 (3)** में प्रावधान किया गया है कि भारतीय वायुसेना की जिन महिला एस. एस. सी. ओ. ने पी. सी. का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, लेकिन केवल अपने अल्पकालिक सेवा आयोगों के विस्तार की अनुमति दी गई थी, वे सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष एस. एस. सी. ओ. के बराबर पी. सी. की हकदार थीं।पाँच साल पूरे होने के बाद उन्हें पी. सी. की पेशकश की जानी थी।इसमें पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों सहित परिणामी लाभ शामिल होंगे।हालाँकि, लाभ केवल उन महिला अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने थे जो सेवा में थीं और जिन्होंने याचिकाएँ दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, हालाँकि वे याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।दिल्ली उच्च न्यायालय के **12** मार्च **2010** के अपने फैसले में यह परिकल्पना की गई थी कि उन लोगों को लाभ उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी और रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, और यह कि निर्देश **(iv)** के आधार पर, यह परिकल्पना की गई थी कि वे महिला अधिकारी जो पीसी अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर चुकी थीं, उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाएगा।इसलिए, उस व्यापक निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा **61** द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किए गए थे।**[**पैरा **20,25,26] [815-**सी**-**डी**; 816-**जी**-**एच**; 817-**ए**-**डी**]**

डी.

ई.

च

जी.

2. शुरू में पूरी मुकदमेबाजी को एक जनहित याचिका के रूप में आगे बढ़ाया गया था जिसे एक वकील द्वारा पेश किया गया था।कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वायु सेना और सेना के अधिकारी इसमें शामिल हुए

एच.

कार्यवाही।अपीलार्थी वे सभी अधिकारी हैं जो **1993** में अपनी प्रारंभिक नियुक्तियों के बाद से सेवा में हैं।उस नीति परिपत्र के संदर्भ में जो इस क्षेत्र में था और साथ ही उन विज्ञापनों के संदर्भ में जिनके अनुसरण में उन्हें भर्ती किया गया था, वे एक वैध उम्मीद के तहत थे कि उन्हें पांच साल के अंत में पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।हालाँकि, उन्हें पीसी की पेशकश नहीं की गई थी और इसके बजाय उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था।**[**पैरा **28] [817-**ई**-**जी**]**

3. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को एक वैध अपेक्षा थी क्योंकि उत्तरदाताओं ने **25** नवंबर **1991** के नीति परिपत्र में अपने अभ्यावेदन द्वारा और प्रकाशित विज्ञापनों में महिला एस. एस. सी. ओ. के बीच रिक्तियों और उपयुक्तता के अधीन पांच साल की सेवा के पूरा होने पर पी. सी. के अनुदान के बारे में अपेक्षाएं पैदा कीं।वर्ष **2000** से **2003** के बीच सभी महिला अधिकारी पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के पात्र थीं, लेकिन उन्हें केवल वैध अपेक्षा के आधार पर एस. एस. सी. का विस्तार दिया गया था जो नियुक्ति के प्रारंभिक नियमों और शर्तों में निर्धारित किया गया था।अपीलार्थियों के पुरुष

समकक्षों पर विचार किया गया और उनकी पाँच साल की सेवा के बाद उन्हें पी. सी. प्रदान किया गया।महिला एस. एस. सी. ओ. एक वैध उम्मीद के तहत बनी रही कि उनके विस्तारित एस. एस. सी. कार्यकाल को पी. सी. में परिवर्तित कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें पी. सी. के लिए विचार किए जाने के एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व के साथ सेवा में शामिल किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने **12** मार्च **2010** के बबीता पुनिया के फैसले में भी वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया था और कहा था कि कानून के शासन में आधारित वैध अपेक्षा के सिद्धांत के लिए जनता के साथ सरकारी व्यवहार में नियमितता, पूर्वानुमेयता और निश्चितता की आवश्यकता होती है।इनमें से अधिकांश अधिकारी **1993** और **1998** के बीच सेवा में शामिल हुए और अंततः दिसंबर **2006** और **2009** के बीच उन्हें सेवा से रिहा कर दिया गया।उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए लंबे वर्षों तक सेवा की है। सुनवाई के दौरान, वायु सेना के अधिकारियों की ओर से अदालत को उचित रूप से अवगत कराया गया है कि अधिकारियों का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।**[**पारस **30,31] [818-**सी**-**जी**]4.** बबीता पुनिया मामले में फैसले के तुरंत बाद और उनकी रिहाई की तारीख से उचित अवधि के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने वाले अधिकारियों के इस समूह को उस फैसले से प्राप्त लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।साथ ही ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

803

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम भारत संघ ए

न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकता है कि अधिकारियों को दिसंबर **2006** से दिसंबर **2009** के बीच विभिन्न तिथियों पर सेवा से रिहा किया गया है।इसलिए सेवा में बहाली एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा, विशेष रूप से राष्ट्र के सशस्त्र बल में सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।तथापि, सचिव में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के तर्क का पालन करते हुए,

रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया, अधिकारियों को होना चाहिए

पेंशन लाभों के अनुदान के लिए विचार किया गया।**[**पैरा **32] [818-**एच**; 819-**ए**-**बी**]**

5. दिशा निर्देशःआई. वर्तमान मामलों के समूह द्वारा शासित सभी महिला एस. एस. सी. ओ. को एकमुश्त पेंशन लाभ देने के लिए इस आधार पर विचार किया जाएगा कि उन्होंने पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली है।**ii.** अपीलार्थियों के मामलों का मूल्यांकन भाग संख्या **5** वाले **19** नवंबर **2010** के एच. आर. पी. के आधार पर किया जाएगा। जो अधिकारी वर्तमान निर्देश के संदर्भ में पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पात्र पाए जाते हैं, वे वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे, लेकिन पेंशन के बकाया का भुगतान उस तारीख से किया जाएगा जिस दिन अधिकारियों को बीस साल की सेवा पूरी करने वाला माना जाता है।**iv.** इस न्यायालय ने उन अधिकारियों द्वारा दायर कई अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया जिन्होंने सेवा से रिहा होने के बाद काफी देरी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और **v.** मामलों के वर्तमान बैच में, तीन अधिकारी हैं जिन्होंने **6.29** और **6.51** के बीच क्यू. आर. प्राप्त किए हैं।इन अधिकारियों के मामले पर वायु सेना के अधिकारियों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक उसी आधार पर विचार किया जाएगा।**[**पैरा **34] [820-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

*बबीता पुनिया बनाम सचिव और अन्न **(2010) 168** डी**.** एल**.** टी**. 115 (**डी**.** बी**.);** सचिव**,** रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता

च

पुनिया और अन्य (2020) 7 एस. सी. सी. 469:[2020] 3 एससीआर

833; झारखंड राज्य बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड**,**

2020 की रांची सिविल अपील संख्या 3860-3862; 2020

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 968;** लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य बनाम

जी.

2020 का भारत संघ डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1109; 2021 एससीसी

ऑन लाइन एससी **261;** भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट सीडी। एनी

नागराजा (2020) 13 एससीसी 1:[2020] 10 एस. सी. आर. 433-निर्भर।

एच.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2020] 3 एससीआर **833**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

[2020] 10 एससीआर **433**

पर भरोसा किया

पैरा **32**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2012 की सिविल अपील Nos.79-82।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.5073 और 5077 में दिनांकित <आई. डी. 4 और आदेश से और समीक्षा याचिका No.546 में दिनांकित <आई. डी. 2 और 2010 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.5073 और 5077 में 2011 के 550 से।

ग

सह

सिविल अपील Nos.192-196,83-84 और 2012 का 5164।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, आर. बालासुब्रमनिना, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री अंशुला विजय कुमार ग्रोवर, राकेश कुमार, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, अवनीश दवे, प्रमोद कुमार विश्नोई, ऐश्वर्या मिश्रा, दशरथ सिंह, सुश्री गुंजन नेगी, शिव ऑतर सिंह सेंगर, मानवेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री गरिमा सचदेवा,

दीपक गोयल, सुधांशु एस. पांडे, गाइचांगपोउ गंगमेई, अर्जुन डी. सिंह, यशवीर कुमार, संतोष कुमार, अक्षय अमृतांशु, मोहम्मद। अखिल, सचिन शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, अनुपम रैना, श्रीधर पोटाराजू, एड.उपस्थित दलों के लिए।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. वर्तमान विवाद का विषय बनने वाली अपीलों का समूह 11 अगस्त 2011 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से निकलता है। उच्च न्यायालय ने बबीता पुनिया के मामले 1 में 12 मार्च 2010 के अपने प्रमुख फैसले में महिला अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी 2 पर विचार करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए।बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं का एक समूह संविधान के समक्ष स्थापित किया गया।

च

जी.

1 बबिता पुनिया बनाम सचिव और अन्र, (2010) 168 डी. एल. टी. 115 (डी. बी.)

2 “एसएससीओ "3" पीसी "

एच.

805

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बबीता पुनिया के फैसले का लाभ मांगा।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2011 के अपने फैसले में छह रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने विशिष्ट कार्यवाही की थी, वे बबीता पुनिया मामले में पहले के फैसले के पैराग्राफ 61 में निहित निर्देशों के दायरे में नहीं आए थे।अपीलों के इस समूह ने भारतीय वायु सेना द्वारा बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के तरीके पर सवाल उठाया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

2. अपीलार्थी महिला अधिकारी हैं जो 1993 और 1998 के बीच भारतीय वायु सेना 4 में एस. एस. सी. ओ. के रूप में शामिल हुईं।उन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा 25 नवंबर 1991 को जारी एक परिपत्र के संदर्भ में नियुक्त किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अधिकारियों को शुरू में पांच साल की अवधि के लिए अल्पकालिक सेवा आयोग 5 दिया जाएगा, जिसके अंत में उन्हें उपयुक्तता और उपलब्धता के अधीन स्थायी आयोग 6 के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।परिपत्र में कहा गया है कि जिन महिला अधिकारियों ने पीसी का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन विस्तार की मांग की थी, उन्हें छह साल के लिए विस्तार दिया जाएगा।25 नवंबर 1991 के परिपत्र के पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में निम्नलिखित शर्तों में नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट की गई हैः

ग

डी.

“ खंड 5:सगाई की अवधिःप्रारंभिक नियुक्ति की अवधि चालू होने की तारीख से 5 साल के लिए होगी।इस अवधि के पूरा होने पर, अधिकारी पी. सी. या 6 साल के अन्य एस. सी. सी. कार्यकाल का विकल्प चुन सकता है।इस तरह के विस्तार की मांग

करने वाले अधिकारी पी. सी. के लिए पात्र नहीं होंगे। विस्तार या पी. सी. का अनुदान वायु सेना की उपयुक्तता और आवश्यकता के अधीन होगा।खंड 6:स्थायी आयोगः एस. एस. सी. अधिकारी जिन्हें पी. सी. प्रदान किया गया है, वे सभी लाभों/विशेषाधिकारों के लिए पात्र होंगे, जो पी. सी. अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

ई.

च

3. भारतीय वायु सेना ने एस. एस. सी. ओ. के रूप में शामिल होने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित करने वाले नीतिगत परिपत्र के अनुसार विज्ञापन जारी किए, जिसमें कहा गया था कि महिला अधिकारियों को शुरू में 5 साल की अवधि के लिए एस. एस. सी. प्रदान किया जाएगा, लेकिन कार्यकाल के अंत में, पी. सी. को रिक्तियों और अधिकारी की उपयुक्तता के अधीन प्रदान किया जाएगा।विज्ञापन का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

जी.

4 “आईएएफ "5" एसएससी "6" पीसी "

एच.

“गतिशील युवा लड़कियों के लिए एक अनूठा अवसरःभारतीय वायु सेना प्रशिक्षण में एक कमीशन अधिकारी के रूप में एक नए क्षितिज की ओर बढ़नाः

...

संगठन का कार्यकालःपी. सी. या छह साल के अन्य कार्यकाल का विकल्प चुनने के प्रावधान के साथ प्रारंभिक कार्य शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए होगा।स्थायी कमीशन का अनुदान अधिकारी की रिक्ति और उपयुक्तता पर निर्भर करता है।"

कैरियर की संभावनाएँःएस. एस. सी. अधिकारी गैर-तकनीकी ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के स्थायी कमीशन अधिकारियों के लिए लागू शर्तों के तहत पदोन्नति के हकदार होंगे।"

ग

4. हालांकि, पांच साल की सेवा प्रदान करने के बाद, अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं सहित सभी महिला अधिकारियों के लिए छह साल की अवधि बढ़ाने की पेशकश की।पीसी के अनुदान के लिए उनके मामलों पर उस स्तर पर विचार नहीं किया गया था। हालांकि, भारतीय वायु सेना ने पीसी के लिए केवल पुरुष अधिकारियों पर विचार किया। महिलाओं को बाहर रखा गया।

डी.

5. 2003 में, महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने के लिए एक अधिवक्ता बबीता पुनिया द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव को उजागर किया गया था।सेना और वायु सेना से संबंधित कुछ एस. एस. सी. ओ. को भी विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से सह-याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया गया था।हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाही के दौरान कोई रिट याचिका दायर नहीं की थी।

ई.

च

6. 10 सितंबर 2004 को एस. एस. सी. ओ. को पी. सी. के अनुदान के लिए एक नीति जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि महिला अल्पकालिक सेवा आयोग के अधिकारियों को "स्थायी कमीशन" की पेशकश नहीं की जाएगी।

7. 2006 में जारी एक नीति द्वारा, उत्तरदाताओं ने कैडर प्रबंधन विचारों के कारण लिंग की परवाह किए बिना सभी एस. एस. सी. ओ. के लिए पी. सी. को रोकने का फैसला किया।25 मई 2006 को एक नीति जारी की गई थी जिसके द्वारा पुरुष अधिकारियों के लिए पी. सी. का प्रावधान बंद कर दिया गया था और 1991 के नीति परिपत्र में उल्लिखित पी. सी. पर विचार करने के लिए महिला अधिकारियों की शर्त को वापस ले लिया गया था।25 मई 2006 के नीतिगत परिपत्र में केवल एस. एस. सी. ओ. के लिए आयोग के और विस्तार का प्रावधान किया गया था। द ए.

जी.

एच.

807

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

संबंधित मानव संसाधन नीति 7 ने सेवा के विस्तार के लिए गुणात्मक आवश्यकताओं 8 को निर्दिष्ट किया।तदनुसार, पिछली तीन वार्षिक रिपोर्टों में सेवा के दूसरे विस्तार के अनुदान के लिए क्यू. आर. को न्यूनतम औसत 6.5 से बढ़ाकर 7.0 कर दिया गया था।

8. 25 मई 2006 के एच. आर. पी. के संदर्भ में, कुछ अपीलकर्ताओं ने अर्हता प्राप्त की और उन्हें 2003-2008 अवधि के लिए अल्पकालिक सेवा आयोग का दूसरा विस्तार दिया गया, और बाद में 2007 और 2010 के बीच की अवधि के दौरान जारी किया गया, जिसमें अधिकतम अनुमेय सेवा प्रदान की गई।कुछ अपीलार्थियों को दूसरे विस्तार के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे अपने पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम औसत 7.0 प्राप्त करने के उच्च क्यू. आर. को पूरा नहीं करते थे, और वर्ष 2007 और 2009 के बीच 11 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। 9.अंत में, 26 सितंबर 2008 को, भारत के राष्ट्रपति ने चुनिंदा शाखाओं में तीन सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को संभावित रूप से पीसी प्रदान करने के लिए एक नीतिगत निर्णय को मंजूरी दी, विशेष रूप से जेएजी विभाग और सेना के सेना शिक्षा कोर और भारतीय नौसेना और वायु सेना में उनकी संबंधित शाखाओं के साथ-साथ वायु सेना की लेखा शाखा और भारतीय नौसेना में नौसेना निर्माता।10. बबीता पुनिया के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 12 मार्च 2010 के एक फैसले द्वारा सभी रिट याचिकाओं का फैसला किया।महिला एस. एस. सी. ओ. की प्रमुख शिकायत यह थी कि उन्हें पी. सी. से वंचित करके, उनके साथ लैंगिक भेदभाव किया गया था।रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 के तहत लैंगिक समानता और वैध अपेक्षा के सिद्धांत के आधार पर, महिला एस. एस. सी. ओ. (कुछ शाखाओं में), जिन्हें 2006 से पहले कमीशन किया गया था, वे परिणामी लाभों के साथ पुरुष एस. एस. सी. ओ. के बराबर पी. सी. के लिए विचार किए जाने की हकदार थीं।उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

ग

डी.

ई.

च

“52. महिला वायु सेना अधिकारी उस आश्वासन पर सेवा में शामिल हुईं जैसा कि उन्हें दिनांकित परिपत्र 25.11.2009 के संदर्भ में दिया गया था जिसे इसके परिशिष्ट के साथ पढ़ा गया था और जैसा कि उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया था। उन्हें एक अभ्यावेदन दिया गया था कि हालांकि उन्हें शुरू में 5 साल की अवधि के लिए एस. एस. सी. दिया जाना था, लेकिन वे तब तक पी. सी. के हकदार थे जब तक वे इच्छुक थे और उनकी उपयुक्तता के अधीन थे।महिला अधिकारियों ने पी. सी. का विकल्प चुना लेकिन इस तथ्य के बावजूद केवल उनके एस. एस. सी. को बढ़ाया गया।

जी.

7 “एचआरपी "8" क्यू. आर ".

एच.

808

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

53. जैसा कि ऊपर देखा गया है कि न तो उपयुक्तता का सवाल है और न ही संदेह में आवश्यकता की अनुपस्थिति जो परिशिष्ट के खंड (v) के अनुसार भी दोहरी स्थिति थी।एक बार जब पुरुष अधिकारियों को पीसी दिया गया था, तो पीसी के लिए अधिकारियों की आवश्यकता की अनुपस्थिति का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। विज्ञापन में महिला वायु सेना अधिकारियों को दो कारकों के आधार पर पीसी देने का वादा भी किया गया था, जो हैंः

((i) रिक्ति।

((ii) अधिकारियों की उपयुक्तता।

54. .....

ग

55. एक बार इन दो शर्तों को पूरा करने के बाद, जो कि वर्तमान मामले में है, महिला वायु सेना अधिकारियों को इस विशिष्ट दलील पर पी. सी. से वंचित नहीं किया जा सकता है कि एस. एस. सी. केवल प्रयोगात्मक आधार पर था और दो नियमों और शर्तों की संतुष्टि के बावजूद पी. सी. का कोई हक नहीं था।

डी.

56. ....

57. ....

58. जैसा कि उपरोक्त निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों में देखा गया है, वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन पर दिया गया है, जिसमें प्रक्रियात्मक और मूल दोनों मामलों पर काम करते हुए जनता के साथ सरकारी व्यवहार में नियमितता, पूर्वानुमेयता और निश्चितता की आवश्यकता होती है।निष्पक्ष खेल सरकार से अपेक्षा होगी।"

ई.

11. उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 61 में निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

च

“61. इस प्रकार हमारा विचार है कि निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता हैः

आई. महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए संचालन के क्षेत्र में अवशोषण के दावे को नीतिगत निर्णय के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है।

जी.

ii.पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पीसी की पेशकश नहीं करने का नीतिगत निर्णय एक नीतिगत निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

एच.

809

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

iii.वायु सेना की अल्पकालिक सेवा से कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी जिन्होंने पी. सी. का विकल्प चुना था और जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, लेकिन एस. एस. सी. और सेना का विस्तार दिया गया था, वे सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष अल्पकालिक सेवा से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बराबर पी. सी. की हकदार हैं।यह लाभ नीति परिवर्तन से पहले भर्ती की गई महिला अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा जैसा कि (ii) पूर्व में कहा गया है।स्थायी

पाँच वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन दिया जाएगा।वे पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों जैसे सभी परिणामी लाभों के भी हकदार होंगे।हालांकि**,** उपरोक्त लाभ केवल सेवा में महिला अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हैं या जिन्होंने याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं।

ग

iv.यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन महिला अधिकारियों ने स्थायी आयोग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की है**,** उन्हें सेवा में बहाल किया जाएगा और पदोन्नति आदि सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएंगे**,** सिवाय उस अवधि के वेतन और भत्तों के जो वे सेवा में नहीं रही हैं।

डी.

इस आदेश के पारित होने के दो (2) महीने के भीतर अधिकारियों द्वारा वित्तीय लाभ जारी करने सहित आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"

ई.

12. उच्च न्यायालय के फैसले पर सेना के अधिकारियों और भारत संघ द्वारा अपील में सवाल उठाया गया था।इस वजह से लिया गया फैसला

इस न्यायालय ने सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता में रिपोर्ट की

पुनिया और अन्य।9 इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः“87. हम तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा इन कार्यवाहियों में दिनांकित 25-2-2019 पत्र के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई नीति के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं और निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

च

87.1 केंद्र सरकार द्वारा उन सभी दस धाराओं में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने की अनुमति देने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय, जहां महिलाओं को भारतीय सेना में एस. एस. सी. प्रदान किया गया है, निम्नलिखित के अधीन स्वीकार किया जाता हैः

जी.

9 (2020) 7 एस. सी. सी. 469

एच.

87.1.1 एस. एस. सी. में सभी सेवारत महिला अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान के लिए माना जाएगा, चाहे उनमें से किसी ने चौदह वर्ष या बीस वर्ष की सेवा को पार कर लिया हो।87.1.2 यह विकल्प वर्तमान में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में सेवा में कार्यरत सभी महिलाओं को दिया जाएगा।

87.1.3 एस. एस. सी. पर चौदह वर्ष से अधिक की सेवा वाली महिला अधिकारी जो पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का विकल्प नहीं चुनती हैं, वे बीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की हकदार होंगी।

87.1.4 एक बार के उपाय के रूप में, पेंशन योग्य सेवा की प्राप्ति तक सेवा में बने रहने का लाभ उन सभी मौजूदा एस. एस. सी. अधिकारियों पर भी लागू होगा जिनकी सेवा चौदह वर्ष से अधिक है और जिन्हें पी. सी. पर नियुक्त नहीं किया गया है।

ग

87.1.5 पैरा 5 में "केवल विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में" और पैरा 6 में "केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों पर" अभिव्यक्ति लागू नहीं की जाएगी।87.1.6 बीस साल से अधिक की सेवा वाली एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया है, वे नीतिगत निर्णय के संदर्भ में पेंशन पर सेवानिवृत्त होंगी।

डी.

87.1.7 पी. सी. के अनुदान का विकल्प चुनने के चरण में, विशेषज्ञता के लिए सभी विकल्प महिला अधिकारियों के लिए पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के समान शर्तों पर उपलब्ध होंगे।महिला एस. एस. सी. अधिकारी अपने पुरुष समकक्षों के समान शर्तों पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने की हकदार होंगी।

ई.

87.2 हम उस स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं जो दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश के पैरा 61 के उप-पैरा (i) में जारी किया गया है।

च

87.3 एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में पी. सी. प्रदान किया गया है, वे पदोन्नति और वित्तीय लाभों सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार होंगी।हालाँकि, ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो सेवा में हैं या जिन्होंने रिट याचिकाएँ दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।"

जी.

13. दिल्ली ए के फैसले के बाद से जहां तक वायु सेना का संबंध है, महिला एस. एस. सी. ओ. को पी. सी. का अनुदान अब एकीकृत नहीं है।

एच.

भारतीय वायु सेना द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय को चुनौती नहीं दी गई थी।वास्तव में, कहा जाता है कि यह निर्णय भारतीय वायुसेना द्वारा केवल उन अधिकारियों के लिए लागू किया गया था जो 12 मार्च 2010 तक सेवा में थे या उन सेवानिवृत्त/रिहा किए गए अधिकारियों के लिए जो 12 मार्च 2010 तक सेवा में नहीं थे, लेकिन उनकी रिहाई से पहले रिट याचिकाएं दायर की थीं।पी. सी. अनुदान के लिए 44 महिला एस. एस. सी. ओ. (23 जिन्हें रिहा कर दिया गया था और 21 जो उस समय सेवारत थीं) पर विचार किया गया था। कुल 41 महिला एस. एस. सी. ओ. को पी. सी. प्रदान किया गया। तीन महिला एस. एस. सी. ओ. ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

14. अपीलार्थियों को भारतीय वायुसेना की बहाली योजना से बाहर रखा गया था क्योंकि वे सभी 12 मार्च 2010 से पहले सेवा से रिहा हो गए थे और बबीता पुनिया के मामले में प्रमुख फैसले से पहले स्वतंत्र रूप से रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं। बिना किसी अनुचित देरी के, अपीलकर्ताओं ने तुरंत भारतीय वायुसेना द्वारा बबीता पुनिया के मामले में निर्णय के कार्यान्वयन के तरीके को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 15.दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2011 के विवादित फैसले में कहा कि बबीता पुनिया फैसले का लाभ उन महिला अधिकारियों तक सीमित था जो रिट याचिका पर निर्णय के समय भी सेवा में थीं या जिन्होंने याचिका दायर करके अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बबीता पुनिया के मामले में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गई थीं।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि बबीता पुनिया के मामले में निर्देशों का लाभ उन सभी महिला अधिकारियों को दिया जाता है जिन्हें एस. एस. सी. ओ. के रूप में शामिल किया गया था, तो जारी किए गए निर्देशों को वापस लेना होगा क्योंकि पी. सी. का अनुदान उपयुक्तता और रिक्तियों की उपलब्धता की दोहरी आवश्यकताओं के अधीन था।27 सितंबर 2011 के एक आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

ग

डी.

ई.

च

प्रस्तुतियाँ

16. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कृष्णन वेणुगोपाल, श्री हुज़ेफा ए अहमदी और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम को सुना है।

जी.

17. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के समर्थन में अपीलकर्ताओं की ओर से पांच प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया हैः

आई. यद्यपि अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप बबीता पुनिया में निर्णय हुआ और इसलिए इसके द्वारा शासित नहीं किया जाएगा

एच.

परिचालन निर्देशों के पैराग्राफ 61 (3) के तहत, वे पैराग्राफ 61 (4) के दायरे में आते हैं, जो पैराग्राफ 61 (3) में निर्दिष्ट श्रेणी के अलावा एक अतिरिक्त श्रेणी है।

ii.अपीलार्थियों को 25 नवंबर 1991 के प्रचलित नीति परिपत्र और उस विज्ञापन के संदर्भ में एक वैध अपेक्षा थी जिसके अनुसरण में उन्हें भर्ती किया गया था कि उन्हें पांच साल की सेवा के अंत में पीसी के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन वे अपनी वैध अपेक्षा से वंचित थे।

iii.बबीता पुनिया में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, महिला एस. एस. सी. ओ. के दावे पर 19 नवंबर 2010 को भारतीय वायुसेना द्वारा घोषित मानव संसाधन नीति के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन लागू नीति परिपत्र के अनुसरण में विचार नहीं किया गया है।

ग

डी.

iv.पी. सी. के अनुदान के लिए महिला एस. एस. सी. ओ. पर विचार करने के लिए गुणात्मक मूल्यांकन को लागू करने में, एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रासंगिक समय में ऐसे अधिकारी 10 सितंबर 2004 के नीति परिपत्र को देखते हुए पी. सी. के अनुदान के हकदार नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप क्यू. आर. का मूल्यांकन किया गया था।

ई.

v. किसी भी स्थिति में, यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि महिला एस. एस. सी. ओ. को सेवा से मुक्त किए जाने के बाद से बीत चुके वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस समय सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें निर्णय के संदर्भ में पेंशन लाभ दिए जाने चाहिए।

च

सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया

इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए।

18. इन दलीलों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम ने कहा किः

जी.

आई. अपीलार्थी 12 मार्च 2010 को न तो भारतीय वायुसेना में सेवारत थे जब बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला सुनाया गया था और न ही उन्होंने सेवा में रहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।नतीजतन, अपीलकर्ताओं में से कोई भी संचालन निर्देश ए द्वारा शासित नहीं है।

एच.

813

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 61 में निहित

बबीता पुनिया में अदालत;

ii.भारतीय वायुसेना ने बबीता पुनिया मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 44 महिला एस. एस. सी. ओ. पर विचार करके दिए गए निर्णय में निहित परिचालन शर्तों का विधिवत पालन किया है, जिनमें से 41 को पी. सी. प्रदान किया गया था।

iii.इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक अंतरिम निर्देश द्वारा, इस न्यायालय ने भारतीय वायुसेना को 2007 की नीति में प्रतिबिंबित क्यू. आर. को पूरा करने वाली महिला एस. एस. सी. ओ. के अधीन बहाली के लिए याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।तदनुसार, चौदह अपीलार्थियों के मामलों पर इस न्यायालय द्वारा 20 फरवरी 2013 को पारित आदेश के संदर्भ में विचार किया गया था।आठ महिला एस. एस. सी. ओ. को बहाल किया गया, जबकि बाकी को उपयुक्त नहीं पाया गया; अन्य ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की; और फिर भी अन्य चिकित्सा मानदंडों को पूरा करने में विफल रहीं;

ग

डी.

iv.उपरोक्त अंतरिम आदेश के बाद, इस न्यायालय ने 23 अगस्त 2013 और 27 सितंबर 2013 को अन्य अधिकारियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

v. 12 मार्च 2010 के उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख पर, 811 एस. एस. सी. ओ. थे, जिनमें से 348 को रिहा कर दिया गया था, जबकि 463 सेवारत थे।दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करते समय, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने 5 अगस्त 2011 को आदेश जारी किए, जिसमें 44 महिला एस. एस. सी. ओ. के अलावा 463 सेवारत एस. एस. सी. ओ. (88 पुरुष और 375 महिला) पर पी. सी. के लिए विचार किया गया, जिन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के तहत पी. सी. के अनुदान के लिए पहले ही विचार किया जा चुका था।इन 463 अधिकारियों में से, 371 एस. एस. सी. ओ. को पी. सी. प्रदान किया गया था जिसमें 70 पुरुष और 301 महिलाएँ थीं; और

ई.

च

vi)पीसी के अनुदान के लिए उनके दावों पर विचार करने में क्यू. आर. आवश्यकताओं के आवेदन के मामले में पुरुष और महिला अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 6. 5 की समान क्यू. आर. आवश्यकता पुरुषों और महिलाओं दोनों एस. एस. सी. ओ. पर लागू की गई है जैसा कि निम्नलिखित सारणीबद्ध चार्ट में परिलक्षित होता हैः

जी.

एच.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

815

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

क.

विश्लेषण

19. मुख्य मुद्दा जो निर्धारण के लिए आता है, बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 61 (3) और 61 (4) की व्याख्या पर निर्भर करता है।उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अंततः इस न्यायालय का निर्णय आया, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।भारतीय वायुसेना ने 12 मार्च 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी, जैसा कि सेना के अधिकारियों ने इस अदालत के समक्ष अपील की थी।वायुसेना के अधिकारियों ने इस फैसले को लागू करने की इच्छा जताई है।निर्णय के लिए जो मुद्दा आता है वह यह है कि क्या निर्णय का विधिवत पालन किया गया है।

20. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 61 (3) में प्रावधान किया गया है कि भारतीय वायुसेना की जिन महिला एस. एस. सी. ओ. ने पी. सी. का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, लेकिन केवल अपने अल्पकालिक सेवा आयोगों के विस्तार की अनुमति दी गई थी, वे सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष एस. एस. सी. ओ. के बराबर पी. सी. की हकदार थीं।पाँच साल पूरे होने के बाद उन्हें पी. सी. की पेशकश की जानी थी।इसमें पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों सहित परिणामी लाभ शामिल होंगे।हालाँकि, लाभ केवल उन महिला अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने थे जो सेवा में थीं और जिन्होंने याचिकाएँ दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, हालाँकि वे याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।दूसरे शब्दों में, पैराग्राफ 61 (3) में दो श्रेणियां शामिल हैं:

ग

डी.

आई. निर्णय की तारीख तक महिला एस. एस. सी. ओ. की सेवा करना; और।महिला एस. एस. सी. ओ. जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन जो याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गई थीं।

ई.

21. "सेवानिवृत्त" पद के संदर्भ को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की गई सेवा से रिहाई के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि एस. एस. सी. ओ. को पांच साल के प्रारंभिक कार्यकाल के बाद सेवा से रिहाई के बाद क्रमशः छह साल और चार साल के दो विस्तार द्वारा नियंत्रित किया गया था।

च

22. पैराग्राफ 61 (4), अपीलार्थियों के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, अधिकारियों की एक अतिरिक्त श्रेणी को अभिनिर्धारित करता है जो पैराग्राफ 61 (3) के दायरे में नहीं आते हैं।उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम ने इस निवेदन का विरोध किया है, जो आग्रह करते हैं कि अनुच्छेद 61 (4) स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।

जी.

23. विवादास्पद विवाद के क्षेत्र को हल करने से पहले, विवादित निर्णय के पैराग्राफ 16 में निहित तर्क का विज्ञापन करना उचित होगा जो पहले के पैराग्राफ 60 को पुनः प्रस्तुत करता है।

एच.

निर्णय लें।बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पैराग्राफ 60 नीचे दिया गया हैः

"60. एक पी. सी. अपने साथ पेंशन सहित पद के कुछ विशेषाधिकार रखता है।इन महिला अधिकारियों ने देश के सशस्त्र बलों की उन क्षेत्रों में अच्छी सेवा की है जिनके लिए उन्हें भर्ती किया गया था और उन्होंने 14 से 15 वर्षों तक इस क्षमता में काम किया है।वे उत्तरदाताओं से बेहतर के हकदार थे।ऐसा कोई कारण नहीं है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले इन व्यक्तियों को उनके लाभ से वंचित किया जाना चाहिए और भविष्य में केवल अनुदान के लिए दिए गए लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए पीसी।ऐसा नहीं है कि एक पूरा अध्याय उन व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है जिन्होंने एस. एस. सी. को स्वीकार करने के लिए चुना है और अवधि पूरी होने पर सेवा से बाहर जाने का फैसला किया है।लाभ केवल सेवारत अधिकारियों और उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया लेकिन मामले के विचार की अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए।लेफ्टिनेंट होंगे

ग

यदि प्रत्यर्थियों ने संभावित रूप से पी. सी. की पेशकश करने का निर्णय लिया है, तो याचिकाकर्ताओं की याचिका, जो याचिका के लंबित रहने के दौरान सेवा में थे या सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें एक समकक्ष लाभ प्रदान करने के लिए एक नीति के रूप में अनुकूल रूप से जांच की जानी चाहिए थी।लैंगिक भेदभाव के मामलों में अधिक संवेदनशीलता अपेक्षित और आवश्यक है।"

डी.

24. दिल्ली उच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि उस स्तर पर, यह निम्नलिखित को लाभ देने के लिए इच्छुक थाःआई. सेवारत अधिकारी; और

ई.

ii.ऐसे अधिकारी जिन्होंने न्यायालय का रुख किया था, लेकिन सेवानिवृत्त हो गए थे या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवा से रिहा कर दिए गए थे।

च

25. कार्यात्मक निर्देशों को निर्णय के मुख्य पाठ से अलग तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, जो अंतिम निर्देशों में अंतर्निहित इरादे से स्पष्ट है।दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की इस व्याख्या को संचालन संबंधी निर्देशों द्वारा भी प्रबलित किया जाता है जो

जी.

इस न्यायालय द्वारा सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम.

बबीता पुनिया, सेना के अधिकारियों के कहने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न अपीलों के समूह में।इस न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2010 के अपने फैसले में यह परिकल्पना की गई थी कि सेवा में उन महिला अधिकारियों को लाभ उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन्होंने ए की स्थापना की थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, और यह कि निर्देश (iv) के आधार पर, यह परिकल्पना की गई थी कि जिन महिला अधिकारियों ने पीसी अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की थी, उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाएगा।अपने फैसले के पैराग्राफ 87 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 87.3 एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में पी. सी. प्रदान किया गया है, वे पदोन्नति और वित्तीय लाभों सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार होंगी।हालाँकि, ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो सेवा में हैं या जिन्होंने रिट याचिकाएँ दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।"

ग

26. दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट किया गया कि यह लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा जो सेवा में थे और जिन्होंने रिट याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।इसलिए, उस व्यापक निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 61 द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किए गए थे।

डी.

बबीता पुनिया में अदालत।

27. वह मुद्दा जो इस बात के निर्धारण के लिए आता है कि क्या अपीलार्थी बबीता पुनिया में निर्णय द्वारा शासित अधिकारियों के समान स्थिति में हैं।

ई.

28. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि पूरी मुकदमेबाजी शुरू में एक जनहित याचिका के रूप में की गई थी जिसे एक वकील द्वारा पेश किया गया था।कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वायु सेना और सेना के अधिकारी कार्यवाही में शामिल हुए। अपीलार्थी वे सभी अधिकारी हैं जो 1993 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से सेवा में हैं।उस नीति परिपत्र के संदर्भ में जो इस क्षेत्र में था और साथ ही उन विज्ञापनों के संदर्भ में जिनके अनुसरण में उन्हें भर्ती किया गया था, वे एक वैध उम्मीद में थे कि उन्हें पांच साल के अंत में पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।हालाँकि, उन्हें पीसी की पेशकश नहीं की गई थी और इसके बजाय उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था।

च

जी.

29. एक व्यक्ति को एक उचित या वैध अपेक्षा कहा जाता है यदि एक प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व या वादा, या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसी अपेक्षा के लिए जगह देता है।वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करते समय, प्राथमिक विचार राज्य की कार्रवाई की तर्कसंगतता और निष्पक्षता हैं।राज्य में

एच.

झारखंड बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची, 10 यह न्यायालय

हम में से एक (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़) के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित शब्दों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर विस्तार से बतायाः

"45. ...राज्य को इस औपनिवेशिक धारणा को त्याग देना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से दान देने वाला संप्रभु है।इसकी नीतियाँ वैध अपेक्षाओं को जन्म देती हैं कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उसके अनुसार कार्य करेगा। अपने सभी कार्यों में, राज्य निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है।यह मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की एक प्राथमिक आवश्यकता है जिसे संविधान का अनुच्छेद 14 अपनाता है।"

30. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को एक वैध अपेक्षा थी क्योंकि उत्तरदाताओं ने 25 नवंबर 1991 के नीति परिपत्र में अपने अभ्यावेदन द्वारा और प्रकाशित विज्ञापन में महिला एस. एस. सी. ओ. के बीच रिक्तियों और उपयुक्तता के अधीन पांच साल की सेवा के पूरा होने पर पी. सी. के अनुदान के बारे में अपेक्षाएं पैदा कीं।सभी महिला अधिकारी वर्ष 2000 से 2003 के बीच पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के पात्र थीं, लेकिन उन्हें केवल वैध अपेक्षा के आधार पर एस. एस. सी. का विस्तार दिया गया था जो नियुक्ति के प्रारंभिक नियमों और शर्तों में निर्धारित किया गया था।अपीलार्थियों के पुरुष समकक्षों पर विचार किया गया और उनकी पाँच साल की सेवा के बाद उन्हें पी. सी. प्रदान किया गया।महिला एस. एस. सी. ओ. एक वैध उम्मीद के तहत बनी रही कि उनके विस्तारित एस. एस. सी. कार्यकाल को पी. सी. में परिवर्तित कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें पी. सी. के लिए विचार किए जाने के एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व के साथ सेवा में प्रेरित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मार्च 2010 के बबीता पुनिया के फैसले में भी वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया था और कहा था कि कानून के शासन में आधारित वैध अपेक्षा के सिद्धांत के लिए जनता के साथ सरकारी व्यवहार में नियमितता, पूर्वानुमेयता और निश्चितता की आवश्यकता होती है।31. इनमें से अधिकांश अधिकारी 1993 और 1998 के बीच सेवा में शामिल हुए और अंततः दिसंबर 2006 और 2009 के बीच उन्हें सेवा से रिहा कर दिया गया।उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए लंबे वर्षों तक सेवा की है। सुनवाई के दौरान, वायु सेना के अधिकारियों की ओर से अदालत को उचित रूप से अवगत कराया गया है कि अधिकारियों का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।32. इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि बबीता पुनिया मामले में फैसले के तुरंत बाद और उनकी रिहाई की तारीख से उचित अवधि के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने वाले अधिकारियों के इस समूह को ऐसा नहीं करना चाहिए

ग

डी.

ई.

च

जी.

10 2020 की सिविल अपील संख्या 3860-3862; 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 968 ए

एच.

819

डब्ल्यू. जी. सी. डी. आर. ए. यू. तैयबा (आर. ई. टी. डी.) और अन्य बनाम

भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

उस निर्णय से होने वाले लाभ से वंचित किया जाए।साथ ही, न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं रह सकता है कि अधिकारियों को दिसंबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच विभिन्न तिथियों पर सेवा से रिहा किया गया है।इसलिए सेवा में बहाली विशेष रूप

से राष्ट्र के सशस्त्र बल में सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा।हालांकि, पहले के तर्क का पालन करते हुए

सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता में इस न्यायालय का निर्णय

पुनिया, हमारा विचार है कि पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए।यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण और पर्याप्त न्याय लाने और भारतीय वायु सेना में अतीत में हुए लैंगिक भेदभाव के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए दिया जाएगा।अनुच्छेद 142 के तहत सौंपी गई असाधारण संवैधानिक शक्ति को पहले इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया है।

ग

सचिव**,** रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया**,** लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य बनाम भारत संघ**, 11** और भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर। एनी

नागराज 12 न्याय के हित में सेना और नौसेना से संबंधित महिला अधिकारियों को क्षतिपूर्ति और/या पेंशन लाभ प्रदान करना। 33. 19 नवंबर 2010 के एच. आर. पी. के आधार पर पी. सी. के अनुदान के लिए अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।नीति दस्तावेज विशेष रूप से महिला एस. एस. सी. ओ. को पी. सी. के अनुदान के लिए क्यू. आर. को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करता हैः

डी.

ई.

“5. गुणात्मक विनियमन (क्यू. आर.)-पी. सी. अनुदान के लिए क्यू. आर.

एस. एस. सी. महिला अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित होंगेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) ए. आर. की संख्या। 25 मई 06 से पहले के तीन वर्षों के ए. आर. पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।

च

(ख) ए. आर. ग्रेड।पीसी के अनुदान के लिए एक अधिकारी के पास विचाराधीन तीन एआर में न्यूनतम औसत ग्रेडिंग 6.5 होनी चाहिए।पी. सी. के अनुदान के लिए, एक अधिकारी के पास नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक पेशेवर और व्यवहार संबंधी कारकों में न्यूनतम 6 (विचाराधीन ए. आर. में) की श्रेणी होनी चाहिए।

जी.

((i)

व्यावसायिक कारक

((क) व्यावसायिक ज्ञान।((अ) नौकरी में प्रवीणता।

11 2020 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1109; 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 261 12 (2020) 13 एससीसी 1

एच.

820

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

((ii) व्यवहार संबंधी कारक

((क) सत्यनिष्ठा और निष्ठा।

((ख) निर्भरता और उत्तरदायित्व की भावना।(क) साहस (शारीरिक और नैतिक)

यह नीति चिकित्सा स्थितियों सहित अन्य आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करती है।"

दिशा-निर्देश

34. हम तदनुसार आदेश देते हैं और निम्नलिखित निर्देश देते हैंः

आई. वर्तमान मामलों के समूह द्वारा शासित सभी महिला एस. एस. सी. ओ. को एकमुश्त पेंशन लाभ देने के लिए इस आधार पर विचार किया जाएगा कि उन्होंने पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली है।

ग

ii.अपीलार्थियों के मामलों का मूल्यांकन भाग संख्या 5 वाले 19 नवंबर 2010 के एच. आर. पी. के आधार पर किया जाएगा; और

डी.

iii.जो अधिकारी वर्तमान निर्देश के संदर्भ में पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पात्र पाए जाते हैं, वे वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे, लेकिन पेंशन के बकाया का भुगतान उस तारीख से किया जाएगा जिस दिन अधिकारियों को बीस साल की सेवा पूरी करने वाला माना जाता है।

ई.

iv.हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने उन अधिकारियों द्वारा दायर कई अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिन्होंने सेवा से रिहा होने के बाद काफी देरी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था; और

v. मामलों के वर्तमान बैच में, तीन अधिकारी हैं जिन्होंने 6.29 और 6.51 के बीच क्यू. आर. प्राप्त किए हैं।इन अधिकारियों के मामले पर वायु सेना के अधिकारियों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक उसी आधार पर विचार किया जाएगा।

च

35. दीवानी अपीलों का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

जी.

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एच.